न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 50/2022 बउनवानी [illegible] बनाम लो.सू.अधि.एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
पुत्र श्री [illegible], तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/97

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.6.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 18.4..2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. श्रीमान जिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर का पत्र कमांक सहा/वि.(83)/2021/7486 दिनांक 22.11.21 पर भिजवायी गयी रिपोर्ट की सूचना की सत्यप्रति दिलावे। 2. श्रीमान जिला कलेक्टर कार्यालय से कई निर्देशो के बाद भी कोई रिपोर्ट नही भिजवायी गयी है उसकी सूचना दिलावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के जवाब नोटिस कमांक/आरटीआई/अपील/2022/604 दिनांक 28.6.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना कुल 11 पृष्ठो के लिए प्रतिलिपि शुल्क राशि 22/–रू जमा करवाने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक 482 दिनांक 16.5.2022 से अन्दर मयाद लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा आदिनांक तक प्रतिलिपि शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐ उपलब्ध नही करवायी गयी है। चूंकि वांछित सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.4.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के लिए अपीलान्ट ने वांछित शुल्क 22/–रू जमा नही करवाने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा चाही गयी शुल्क राशि जमा करवाकर वांछित सूचना उनके कार्यालय से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर